उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com)

विविध वाद सं0- 03/2010–11

भुनेश्वर मोदी वगैरह–बनाम– बिरेन्द्र प्रसाद वगैरह

8.10.21 अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह विविध वाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P(c) No. 6388 of 2002 कैलाश सिंह वगैरह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2008 के आलोक में Private Respondent भुनेश्वर मोदी द्वारा आवेदन देकर पुनः सुनवाई करने हेतु अनुरोध के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गयी एवं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत की गयी।

वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकवा
धनवार	214	168	177	44डी0

निर्धारित तिथियों में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया एवं उनके द्वारा लिखित जबाव दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादगत खाता नं0–168, प्लॉट संख्या–177, re numbered no-778, मौजा–धनवार, थाना नं0–214 की जमीन सर्वे खतियान में गैर–मजरूआ खास दर्ज है जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत जमींदारी समाप्ति के पश्चात् बिहार सरकार में निहित हो गयी एवं खतियान में "केशर–ए–हिन्द" दर्ज हुआ जिसका पूर्व में रास्ते के रूप में इस्तेमाल होता आया। विपक्षीगणों द्वारा जाली हुकुमनामा के आधार पर अपना–अपना मालगुजारी रसीद निर्गत करवा लिया गया। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि वादगत प्लॉट नं0–177 की जमीन से सटे उनकी अपनी ज़मीन है। विपक्षीगण की जमाबन्दी को रद्द करने के लिए आवेदक के द्वारा अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया गया जिसे अंचल अधिकारी, धनवार के द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में विविध वाद संख्या–09/1996 अन्तर्गत धारा–4(H) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 दायर किया गया एवं वाद संख्या–09/96 में इस न्यायालय द्वारा 05.08.1997/25.09.1997 को उक्त विविध वाद को Allow किया गया जिसके विरूद्ध विपक्षीगणों के द्वारा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के न्यायालय में Miscellaneous Revenue Appeal No 74/1997 दायर किया गया जिसे दिनांक 09.07.2002 के आदेशानुसार निरस्त कर दिया गया। इसके विरूद्ध विपक्षियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में

W.P(c) No 6388 of 2002 कैलाश सिंह वगैरह बनाम झारखण्ड राज्य दायर किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2008 को आदेश पारित करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा विद्वान न्यायालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को Remit back करते हुए इस न्यायालय को पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने का आदेश दिया गया।

प्रथम पक्ष के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज की छायाप्रति दाखिल की गई:–

1. मौजा धनवार, चादर नं0–1, थाना नं0–214, थाना–धनवार का सर्वे मैप।
2. खाता नं0–288, प्लॉट नं0–278, रकवा–142 एकड़ एवं प्लॉट नं0–277, रकवा–05 डी0 दोनों रैयत केशर–ए–हिन्द, मौजा–धनवार, थाना नं0–214 की प्रति।
3. मौजा–धनवार, खाता नं0–168, प्लॉट नं0–778/177, थाना नं0–214 अनाबाद, झारखण्ड सरकार का सूचना आवेदन।
4. अंचल अधिकारी, धनवार के ज्ञापांक 972 दिनांक 28.08.2019 द्वारा निर्गत सूचना अधिकार के तहत् जारी किये गये कागजात।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया कि खाता नं0–168, प्लॉट नं0–177, रकवा 47 डी0 जमीन, मौजा धनवार, थाना नं0–214, थाना–धनवार सर्वे खतियान में गैर–मजरूआ खास दर्ज है। तत्कालीन ज़मींदार मैनेजर, वार्ड एन्ड इन्कम्बड इस्टेट, हजारीबाग के द्वारा सहदेव तिवारी (वर्तमान में मृत) के पक्ष में दिनांक 05.02.1931 को हुकुमनामा से बन्दोबस्त किया गया एवं ज़मींदारी रसीद भी निर्गत किया गया और उन्हें दखल भी दिया गया। ज़मींदारी समाप्ति के पश्चात् पंजी–।।, पेज नं0–759/1 में मांग एवं बिहार सरकार की पंजी–।। के आधार पर प्रथम मालगुजारी रसीद संख्या–364707 दिनांक 31.03.1959 को निर्गत की गयी। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनका पुत्र सहदेव तिवारी उपरोक्त 22 डी0 हासिल ज़मीन के अन्तर्गत $05\frac{1}{2}$ डी0 जमीन निबंधित दान–पत्र सं0–6645 दिनांक 08.12.1993 के द्वारा विपक्षी बिरेन्द्र प्रसाद, सुरेन्द्र प्रसाद एवं उमेश प्रसाद सभी ग्राम धनवार के नाम से ट्रान्सफर किया गया। तत्पश्चात् तीनों भाई दखल–कब्ज़ा में आए। उनके नाम से धनवार अचंल में दाखिल खारिज वाद संख्या–07/96–97 में अचल अधिकारी के आदेश दिनांक 21.06.1996 के आधार पर दाखिल–खारिज किया गया एवं उनका नाम रजिस्टर–।। में दर्ज किया गया। शुद्धि पत्र निर्गत किया गया एवं मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया एवं वर्ष 1997–98 से 2008–09 तक मालगुजारी देते आए एवं रसीद हासिल करते रहे। उक्त सहदेव तिवारी ने विपक्षी खोशी महतो वल्द नुनामन महतो के नाम से $05\frac{1}{2}$ डी0 जमीन निवंधित दान पत्र संख्या–6644 दिनांक 08.12.1993 के द्वारा ट्रान्सफर किया गया एवं उन्हें दखल दे दिया गया। उनका नाम भी अंचल कार्यालय में उनके नाम से दाखिल खारिज हुआ, उनका नाम रजिस्टर–।। में दर्ज हुआ, वे भी 1977–98 एवं 2008–09 तक मालगुजारी देते रहे एवं रसीद हासिल करते रहें।

विपक्षी सं0–7 एवं 8 के पिता क्रमशः ब्रम्हा सिंह एवं खुबलाल सिंह ने वर्ष 1936 में मैनेजर, वार्ड एन्ड इन्कम्वर्ड इस्टेट, हजारीवाग से उक्त खाता 168, प्लॉट नं0–177 में 36 डी0 जमीन हासिल

कर दखलकार हुए। उनके नाम से जमींदारी रसीद निर्गत है। तत्पश्चात् उक्त ब्रम्हा सिंह एवं खुबलाल सिंह वगैरह निबंधित बॅटवारा संख्या–6107 दिनांक 28.11.1945 में आपसी बंटवार कर अपने–अपने हिस्से पर कायम काबिज हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वंशज दखलकार हुए। जमींदारी समाप्ति के पश्चात वर्ष 1955 से 1992 तक लगातार मालगुजारी देते रहे और मालगुजारी रसीद हासिल करते रहे। वर्तमान में लगान का भुगतान भी वर्ष 2001–02 तक किया गया है जिसकी ऑन लाईन प्रति संलग्न है। उनका तर्क यह भी है कि खाता नं0–168, प्लॉट नं0–177 रकवा 44डी0 वादगत भूमि कभी भी केशर–ए–हिन्द की जमीन तथा अनाबाद या गैर–आबाद, सर्वे खतियान में दर्ज नहीं हुआ । ऐसा दस्तावेज जो प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल किया गया है वो जालसाजी के तहत् किया गया है एवं Application for Information का दस्तावेज भी गलत एवं नाजायज है। वादगत भूमि पर वाटर सप्लाई का पम्प हाउस या पाईप कभी भी स्थापित नहीं किया गया। ब्रम्हा सिंह एवं खुबलाल सिंह के वारिसान कैलाश सिंह वगैरह ने वादगत भूमि पर अपने मकान को भाड़ा पर लगाया है एवं एक भाग को दिनांक 16.05.2012 को निबंधित केवाला के द्वारा मौजा धनवार के महेश कुमार को बिक्री किया है। खरीदार सपरिवार उस पर मकान बनाकर रह रहे हैं। वादगत भूमि कभी भी जमींदारी समाप्ति के पश्चात सरकार के अधीन नहीं आई। आवेदकगण की ज़मीन वादगत जमीन के पीछे प्लॉट नं0–176 पर अवस्थित है जिस कारण एक षड़यंत्र के तहत् विपक्षीगण की जमीन पर 4(H) की प्रक्रिया चलाकर एवं उनके मकान को हटाकर अपनी जमीन के सामने खुला स्थान बनाने के लिय यह वाद दायर किया गया है। वादगत जमीन पर पूर्व में भी अंचल अधिकारी, धनवार के द्वारा विविध वाद संख्या–07 / 1994–95 चलाया गया था जिसमें तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से स्थल जाँच करवा कर एवं विपक्षीगण के सभी दस्तावेजों तथा राजस्व कागजातों की जाँच कर एवं विपक्षीगण के हक–दखल, कब्जा को सही पाकर दिनांक 27.09.1994 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी आवेदकगण सहित सभी स्थानीय लोगों को है। उक्त आदेश के विरूद्ध कभी कोई अपील दायर नहीं किया गया एवं उक्त आदेश पूर्णतः सम्पुष्ट (Confirm) हो चुका है एवं इस आशय का आदेश माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P(c) No 6388 of 2002 में दिनांक 14.07.2008 को पारित करते हुए इस विद्वान न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.08.1997 / 25.09.1997 को पारित आदेश तथा न्यायालय आयुक्त, छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा दिनांक 09.07.2002 को पारित आदेश को निरस्त किया जा चुका है। द्वितीय पक्ष के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि विषयगत जमीन पर उनका हक, दखल, कब्जा लगातार चला आ रहा है एवं यह वाद चलाने योग्य नहीं है। अतः इस वाद को खारिज किया जाय। अपने दावे के समर्थन में द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किया गया हैः–

1. सर्वे खतियान खाता नं0–168, मौजा–धनवार, थाना नं0–214
2. रजिस्टर–II, पेज नं0–759 जो सहदेव तिवारी के नाम से है।
3. डीड ऑफ गिफ्ट नं0–6645
4. Correction Slip dated-25.06.1996
5. रजिस्टर–II, दिनांक 23.03.2021, पेज नं0–123 जो बिरेन्द्र प्रसाद के नाम से है।

6. सरकारी मालगुजारी रसीद JB/41 No.542112 दिनांक 06.10.2008
7. डीड ऑफ गिफ्ट नं0–6645 दिनांक 08.12.1993
8. रजिस्टर–II, पेज सं0–80 जो खोशी महतो के नाम से है।
9. सरकारी मालगुजारी रसीद संख्या–TB/41542127 दिनांक 01.10.2008
10. हुकुमनामा संख्या–467 / 35736
11. रजिस्टर–II, पेज सं0–760 ब्रम्हा सिंह के नाम से है।
12. सरकारी मालगुजारी रसीद संख्या–X/36132710 दिनांक 07.11.1994
13. रजिस्टर–II, पेज सं0–62 ब्रम्हा सिंह एवं खुबलाल सिंह के नाम से है।
14. पंजी–II विवरण, दिनांक 1995 से 2018–19
15. निबंधित बटवारानाम नं0–6107 दिनांक 28.11.1945
16. सर्वे नक्शा मौजा–धनवार, थाना सं0–214
17. निबंधित केवाला संख्या–3596 दिनांक 16.05.2012 / 22.05.2012
18. Order Sheets दिनांक 27.09.1994 वाद संख्या–07 / 1994–95

विचारण एवं निर्णयः–

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्क, लिखित बहस एवं अभिलेख वद्ध कागजातों के अवलाकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता हैः–

1. यह कि वादगत भूमि खाता नं0–168, प्लॉट नं0–177, रकवा–44 डी0 की जमीन मौजा–धनवार, थाना नं0–214, थाना–धनवार का अभिलेखागार गिरिडीह से जाँचोपरांत स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन सर्वे खतियान में गैर–मजरूआ खास दर्ज है न कि केशर–ए–हिन्द जैसा की आवेदकगण के द्वारा दावा किया गया है।
2. यह कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा L.R.Act की धारा 4(H) के तहत् वादगत भूमि का रकवा 44 डी0 दर्शाया गया है जबकि अंचल अधिकारी, धनवार के विविध वाद संख्या–07 / 1994–95 में वादगत भूमि 36 डी0 भूमि पर विवाद दर्शाया गया है।
3. यह कि विविध वाद संख्या–07 / 1994–95 में तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनवार के द्वारा दिनांक 27.09.1994 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि हुकुमनामा से विषयगत जमीन को प्राप्ति के पश्चात् द्वितीय पक्ष Registered Partition Deed No. 6107 dated 28.11.1945 को बँटवारा कर दखलकार हुए तथा जमींदारी Vesting से लगातार 1991–92 ई0 तक मालगुजारी अदा कर सरकारी मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहें हैं। उन्होंनें यह भी उल्लेख किया है कि सरकार के पत्रांक 3072 दिनांक 22.08.1952 के द्वारा 1960 ई0 तक रैयत द्वारा प्रस्तुत जमींदारी रसीद को देखकर जमाबंदी कायम करते हुए रैयत के नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कर दिए जाने का निर्देश दिया गया था। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम सरकारी लगान रसीद संख्या–404469 / 26.07.1959 भी उसी अवधि का है जिसमें सन 1955–56 से 1958–59 तक का माल वसुली दिखाया गया है। तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा सभी पहलुओं पर विचारोपरांत यह निर्णय दिया गया है कि **"वादगत जमीन पर**

द्वितीय पक्ष के हक हकियत वो कायम जमाबंदी को सही घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि द्वितीय पक्ष के नाम जमाबंदी रैयत वाली जमाबंदी पंजी में दर्ज कर उनसे अधतन लगान वसूल कर उन्हें सरकारी लगान रसीद निर्गत किया जाय। विवादित वादगत जमीन (खाता नं0–168 खेसरा–177) से संबंधित प्रथम पक्ष के आपत्ति आवेदन को खारिज किया जाता है तथा इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाई समाप्त की जाती है।"

4. यह कि W.P(c) No.6388/2002 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2008 को पारित आदेश की कंडिका 10 निम्नवत है:–

10.Both the learned Deputy Commissioner as well as the Commissioner failed to take into consideration the order dated 27.09.1994, passed in Miscellaneous Case No 7/1994-95 by the Circle Officer, which after thorough enquiry and report held that the settlement was absolutely valid. This order became final and binding since no appeal or revision was preferred by either the Revenue authorities or the private respondents. In the aforesaid background the order of the learned Commissioner as well as the Deputy Commissioner dated 09.07.2002 and 05.08.1997/25.09.1997 respectively deserve to be quashed and the matter is remitted back to the learned Deputy Commissioner to consider the dispute afresh on its own merits after hearing the petitioners concerned. This application is, thus, allowed. However, there shall be no order as to cost."

–:आदेश:–

उपरोक्त विवेचना, निष्कर्ष एवं W.P(c) No.6388/2002 में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2008 को पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, धनवार के द्वारा विविध वाद संख्या–07/1994–95 में दिनांक 27.09.1994 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए आवेदक के दावे को खारिज किया जाता है।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.10.24 23:00:55 +05:30
Location: 192.168.208.138

जिला दण्डाधिकारी
सह
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
सह
उपायुक्त, गिरिडीह।